



ई-मेल
अनुस्मारक-2

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- उ0वि0शि0प0 / सि0से0 / डा0प्र0 / 251-65 / 2023-24

दिनांक 02 मई, 2023

विषय:- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्र-सह-अंकपत्रों एवं अंक विवरणिकाओं में विद्यालय के नाम पोर्टल के माध्यम से संशोधित न किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक: उ0वि0शि0प0 / सि0से0 / डा0प्र0 / 002-110 / 2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2023, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को मूल्यांकन पूर्व बैठक दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को प्रेषित पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि अपने जनपद में स्थित विद्यालयों को आदेशित करें कि यदि उनके विद्यालय के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में हो तो उसे पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक संशोधित कर लें, अथवा नाम सही है के Option में Click करें, किन्तु स्मरण पत्र के उपरान्त भी आपके जनपद में संलग्न सूची के अनुसार विद्यालयों ने विद्यालय का नाम अपडेट नहीं किया है। विद्यालय के नाम अपडेट करने हेतु विद्यालयों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये पोर्टल दिनांक 10 मई, 2023 तक खोला जा रहा है।

तत्काल संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर विद्यालय का नाम संशोधन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/परीक्षा प्रभारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

2- उपरोक्त के साथ ही यदि परीक्षार्थियों के डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो तत्काल इसकी सूचना निम्न प्रकार से परिषद की ई-मेल आईडी uk.int.high.@gmail.com पर तत्काल पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें।

अनुक्रमांक	त्रुटि का प्रकार	त्रुटिपूर्ण विवरण	शुद्ध विवरण

संलग्न:- विकासखण्डवार विद्यालयों की सूची।

भवदीय
02/05/2023
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल

पृष्ठांकन संख्या: उ0वि0शि0प0 / सि0से0 / डा0प्र0 / 251-65 / 2023-24 दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

2-समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त) द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी।

02/05/2023
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।



ई-मेल

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद- ~~हरिद्वार~~

पत्रांक:- 30वि0शि0प0/सि0से0/डा0प्र0/190/2023-24 दिनांक 21 अप्रैल, 2023

विषय:- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्र-सह-अंकपत्रों एवं अंक विवरणिकाओं में विद्यालय के नाम पोर्टल के माध्यम से संशोधित न किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक: 30वि0शि0प0/सि0से0/डा0प्र0/002-110/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2023 एवं दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को मूल्यांकन पूर्व बैठक में आपको अवगत कराया गया था कि अपने जनपद में स्थित विद्यालयों को आदेशित करें कि यदि उनके विद्यालय के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में हो तो उसे पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20 अप्रैल, 2023 तक संशोधित कर लें, अथवा नाम सही है के Option में Click करें, किन्तु आपके जनपद में 48 विद्यालयों ने विद्यालय का नाम अपडेट किया है तथा संलग्न सूची के अनुसार 259 विद्यालयों ने विद्यालय का नाम अपडेट नहीं किया है। विद्यालय के नाम अपडेट करने हेतु पुनः पोर्टल दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक खोला जा रहा है।

तत्काल संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर विद्यालय का नाम संशोधन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/परीक्षा प्रभारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

संलग्न:- विकासखण्डवार विद्यालयों की सूची।

भवदीय

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर, नैनीताल।

पृष्ठांकन संख्या: 30वि0शि0प0/सि0से0/डा0प्र0/190/2023-24 दिनांक:-उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

2-समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त) द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी।

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर, नैनीताल।



प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:-

उ0वि0शि0प0 / सि0से0 / डा0प्रो0 / ६०२ - ११० / 2023-24 दिनांक ०६ अप्रैल, 2023

विषय:-

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्र-सह-अंकपत्रों एवं अंक विवरणिकाओं में विद्यालय के नाम पोर्टल के माध्यम से शुद्ध करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके जनपद में स्थित कतिपय विद्यालयों द्वारा विद्यालय के नाम अशुद्ध मुद्रित होने के सन्दर्भ में सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में कृपया अपने स्तर से प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि नामावली में विद्यालय के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) हो तो उसे पोर्टल के माध्यम से संशोधित करने हेतु पोर्टल दिनांक 06 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 के मध्य खुला रहेगा। ध्यान रहे कि सम्बन्धित बाक्स में विद्यालय का नाम वह अंकित किया जाय जो कि अंक विवरणिका एवं प्रमाणपत्र-सह-अंक पत्र पर मुद्रित होना है।

विद्यालय का नाम संशोधन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

- 1- परिषद् की वेबसाइट www.ubse.in के Board Examination आइकन के लिंक <http://ubse.co.in> पर उपलब्ध है।
- 2- विद्यालय की यूजर आईडी व पासवर्ड पूर्ववत् रहेगी।
- 3- School login यूजर आईडी, पासवर्ड से login करें। login करने पर विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र आपको प्रदर्शित होगा।
- 4- विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र के अन्त में पर Edit Button पर Click करेंगे।
- 5- उसके उपरान्त विद्यालय का नाम निर्धारित बाक्स में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित हो रहा होगा।
- 6- यदि विद्यालय के नाम में कोई त्रुटि न हो तो विद्यालय के हिन्दी नाम के नीचे बाक्स में "स्कूल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों नाम सही हैं बदलने की जरूरत नहीं है" को क्लिक करें एवं SUBMIT करें।

उदाहरण-

राजकीय इण्टर कालेज रामनगर नैनीताल	GOVT INTER COLLEGE RAMNAGAR NAINITAL
-----------------------------------	--------------------------------------

7--यदि विद्यालय का नाम त्रुटिपूर्ण है उसे संशोधन किया जाना हो तो पहले विद्यालय का नाम हिन्दी व अंग्रेजी में निम्न प्रकार से संशोधन करें। सर्वप्रथम विद्यालय का शुद्ध नाम अपडेट करें। तदुपरान्त "मैंने स्कूल का नाम अपडेट कर दिया है" पर क्लिक करें और SUBMIT करें।

उदाहरण- विद्यालय का अशुद्ध नाम

केवल कन्या पाठशाला इ0का0 हरिद्वार	K K P INTER COLLEGE HARIDWAR
-----------------------------------	------------------------------

विद्यालय का संशोधित नाम

केवल कन्या पाठशाला इ0का0 मंगलौर टाऊन हरिद्वार	K K P INTER COLLEGE MANGLAUR TOWN HARIDWAR
---	--

इसके उपरान्त भी यदि किसी विद्यालय द्वारा विद्यालय का नाम हिन्दी और अंग्रेजी में संशोधित नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रधानाचार्य/परीक्षा प्रभारी का रहेगा।

भवदीय
(डॉ० नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)


05/04/2023

पृष्ठांकन संख्या: उ0वि0शि0प0/सिस्टम सेल/डा0प्रो0/००२-110/2023-24 दिनांक:-उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ।

2-समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त) द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी ।


(डा०) नीता तिवारी
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।
05/11/2023